रजि० नं० बी ४४४८
लाअिसेन्स नं० १५

अहिन्दी प्रदेशोंकी भाषा-सम्बन्धी मांगें

हरिजनसेवक

दो आना

(संस्थापक : महात्मा गांधी)

भाग १९ सम्पादक : मगनभाई प्रभुदास देसाई अंक ५१

मुद्रक और प्रकाशक
जीवणजी डाह्याभाअी देसाअी
नवजीवन मुद्रणालय, अहमदाबाद–१४

अहमदाबाद, शनिवार, ता० १८ फरवरी, १९५६

वार्षिक मूल्य देशमें रु० ६
विदेशमें रु० ८; शि० १४

'हरिजन' पत्र

करीब ढाअी साल पहले ता० ३–१०–'५३ के 'हरिजन' में पत्रोंके व्यवस्थापक-ट्रस्टीका अुनकी आर्थिक स्थितिके संबंधमें निवेदन प्रकाशित हुआ था। अुसमें बताया गया था कि अंग्रेजी पत्रकी ग्राहक-संख्या बहुत कम है; अिसलिअे घाटेमें थोड़ी राहत मिलनेकी दृष्टिसे अंग्रेजी पत्र बन्द करना पड़ेगा।

अुसके बादसे आज तकके नीचे दिये आंकड़े अिस संबंधमें कोअी खास सुधार हुआ हो अैसा नहीं बताते :

ग्राहकोंकी औसत वार्षिक संख्या

वर्ष	हरिजन	हरिजनबंधु	हरिजनसेवक
१९५३	३,४४५	५,४२९	४,५५३
१९५४	२,६४३	४,०३३	३,५६५
१९५५	२,४५५	३,५६१	३,५३८
१९५६	२,४२३	३,४३२	३,४३५

अूपरके कोष्ठक परसे पाठक देखेंगे कि ग्राहकोंकी स्थितिमें कोअी सुधार नहीं हो रहा है। अिस कारणसे नवजीवन ट्रस्ट प्रति वर्ष अिन पत्रों पर हजारोंका घाटा अुठाता है। अुदाहरणके लिअे, व्यवस्थापक-ट्रस्टीने १९५५ के आडिट किये गये हिसाब परसे मुझे बताया है कि अुस वर्षमें कुल घाटा अिस प्रकार था :

हरिजन (अंग्रेजी)	रु०	१४,३६४-१२-६
ह० बंधु (गुजराती)	रु०	६,६७१–८–०
ह० सेवक (हिन्दी)	रु०	६,९७८-१४-९
	कुल रु०	२८,०१५–३–३

अिस बातसे ट्रस्टियोंको चिन्ता होना स्वाभाविक है। अिस स्थितिमें अब कोअी बड़ा या अकल्पित सुधार हो जायगा अैसा भी नहीं माना जा सकता।

मतलब यह कि ट्रस्टके सामने अिस विषयमें अब किसी निर्णय पर पहुंचनेका प्रश्न खड़ा होता है।

अिस संबंधमें अेक बातका तो अुसने पक्का विचार कर लिया है। वह यह कि अंग्रेजी पत्र पहले बन्द किया जाय और हिन्दी तथा गुजराती पत्र चलने दिये जायं। ये दो पत्र चलने देना अच्छा और जरूरी है, अैसा भी कहा जायगा। परंतु व्यवस्थापक-ट्रस्टी द्वारा यह मालूम हुआ है कि अिसमें अेक अकल्पित कठिनाअी पैदा हो गअी है। वह है पत्रोंके संबंधमें हाल ही केन्द्रीय सरकार द्वारा पास किया गया कानून।

यह कानून सामान्यतः बड़े और दैनिक पत्रोंमें काम करनेवाले पेशेवर पत्रकारोंके लिअे तो अुचित माना जायगा। परन्तु वकीलोंका कहना है कि 'हरिजन' जैसे साप्ताहिकोंको भी वह लागू होता है।

सब कोअी जानते हैं कि सामान्य ढंगसे चलनेवाले पत्रोंकी बड़ी आय विज्ञापनोंसे होती है। अुनके लिअे सरकारने काफी अूंचे भाव भी बांध दिये हैं। दूसरी तरफ पेशेवर पत्रकारों, प्रूफरीडरों, संपादकवर्ग वगैराके लिअे छुट्टीके, तनखाहके, भत्तेके तथा ग्रेच्युअिटी वगैराके अनिवार्य नियम भी तय कर दिये हैं। ये सब नियम अैसे हैं, जो विज्ञापनोंके बल पर जीनेवाले दैनिक पत्रोंको शायद पुसा सकेंगे। अुनमें काम करनेवाले लोगोंके लिअे शायद अैसे नियम जरूरी होंगे। परंतु 'हरिजन' पत्रों तथा अुनके सेवाभावी राष्ट्रीय ट्रस्टके साथ अुन नियमोंका मेल नहीं बैठता; अितना ही नहीं, वे अितने भारी हैं कि अुसकी सारी तंत्र-रचनाको अस्तव्यस्त कर डालेंगे।

अिस वजहसे 'हरिजन' पत्रोंका खर्च खूब बढ़ सकता है, लेकिन ग्राहक-संख्या तो घट रही है। और, अिन पत्रोंमें विज्ञापन लेनेका तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि वह ट्रस्टकी नीतिके बाहर है।

अिसलिअे स्पष्ट है कि पत्र चलानेमें और ज्यादा घाटा हो सकता है। और कानून अैसा बना है कि घाटा अुठाये सिवा पत्र चल ही नहीं सकते।

अिसलिअे केवल अंग्रेजी 'हरिजन' ही नहीं, बल्कि तीनों पत्र जारी रखे जायं या नहीं यह विचारनेका प्रश्न खड़ा होता है।

अिस विषय पर ता० १४–२–'५६ को दिल्लीमें होनेवाली ट्रस्टी-मंडलकी बैठकमें विचार किया जायगा। अुसमें जो निर्णय होगा अुसे समय पर अिस अंकमें दे सका तो दूंगा, वर्ना वह अगले अंकमें दिया जायगा।

९–२–'५६ **मगनभाई देसाई**

पुनश्च : पत्रोंकी आर्थिक स्थितिका विचार करके नवजीवन ट्रस्टने अपनी बैठकमें यह प्रस्ताव पास किया है कि ता० १–३–'५६ से तीनों 'हरिजन' पत्र बन्द कर दिये जायं। अिसके मुताबिक ता० २५–२–'५६ का अंक अिन पत्रोंका आखिरी अंक होगा। श्री व्यवस्थापक-ट्रस्टी अुस अंकमें अिस सम्बन्धमें ग्राहकोंको जरूरी सूचनायें देंगे।

दिल्ली, १४–२–'५६ **म०**

(गुजरातीसे)

सर्वोदय

लेखक : गांधीजी; संपा० भारतन् कुमारप्पा

कीमत २–८–० डाकखर्च ०–१२–०

नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद–१४

www.vinoba.in

श्री नवजीवन संस्थाका ३१ दिसम्बर, १९५५ के दिनका बैलेन्सशीट

जमा रु० आ०पा०		नामे रु० आ०पा०	
८,५६,२०२-१०-३	श्री आय-व्यय खाते —	३,२३,१६६-९-०	श्री जमीन खरीदीके खरीद कीमत पर पिछले बैलेन्सशीटके मुताबिक बाकी
८,५६,५७७-१५-९	पिछले बैलेन्सशीटके मुताबिक बाकी	१६,४३,१३०-२-९	श्री मकान खाते लागत कीमत पर
— ३७५-५-६	कर्ज बट्टे खातेमें डाला अुसके	१६,४२,२११-१-६	पिछले बैलेन्सशीटके मुताबिक बाकी
		९१९-१-३	चालू सालमें बढ़ती की
२,२६,०९५-०-०	श्री मशीन-घिसाअी फंड खाते	४०,३४०-०-०	श्री सामान-असबाब —
१,८७,०९५-०-०	पिछले बैलेन्सशीटके मुताबिक बाकी	३९,४००-०-०	पिछले बैलेन्सशीटके मुताबिक बाकी
३९,०००-०-०	चालू सालमें घिसाअीके जमा किये	३,६२९-१-३	चालू सालमें बढ़ती की
		४३,०२९-१-३	
१,४०,९०७-१४-०	श्री प्रोविडेन्ट फंडकी रकम खाते	— २,६८९-१-३	चालू सालकी घिसाअी
२,३८,६५७-६-८	श्री मकान-फंड खाते	३,९०,९३२-७-३	श्री मशीन-विभागके —
१,९७,८२१-१५-११	पिछले बैलेन्सशीटके मुताबिक बाकी	३,४७,००५-४-६	पिछले बैलेन्सशीटके मुताबिक बाकी
४०,८३५-६-९	चालू सालमें घिसाअीके जमा किये	५३,८४६-३-६	चालू सालमें बढ़ती की
		४,००,८५१-८-०	
१,३८,९१२-२-४	श्री अमानत खाते	— ९,९१९-०-९	चालू सालमें मशीन बिक्री वगैराके
४,०७०-७-३	श्री हरिजन-सेवक-संघ दिल्लीको पू० गांधीजीके वसीयतनामेके मुताबिक वार्षिक हिसाबसे देनेकी रकम	८३,७२४-६-०	श्री टाअिप-विभागके
१,२७,५१४-२-१०	साप्ताहिकोंके चन्देकी, कापीराअिट वगैराकी अमानत देनी बाकी	९१,४९८-२-३	पिछले बैलेन्सशीटके मुताबिक बाकी
४०९-१३-९	वेतन अमानत	२०,२८१-११-९	चालू सालमें बढ़ती की
६,९१७-१०-६	बिक्री-कर अमानत	१,११,७७९-१४-०	
		— २८,०५५-८-०	
२०,७४,७८७-१३-६	श्री कर्ज —	५५-८-०	विविध बिक्रीके
९,५१,९२१-४-०	श्री महादेव देसाअी स्मारक ट्रस्टसे प्लाट नं० ९६ की जमीन और अुस पर बंधे हुअे मकानोंकी अिक्वीटेबल गिरवी पर ब्याजसहित	२८,०००-०-०	चालू सालकी घिसाअी
		७,५००-०-०	श्री टाअिप-फाअुन्डरीके माल वगैराके तथा चालू सालमें ट्रस्टकी फाअुन्डरीमें जो टाअिप वगैरा बनाया गया, अुसकी कीमतके व्यवस्थापक ट्रस्टी द्वारा आंके हुअे मूल्यकी प्रमाणित यादीके मुताबिक
११,२२,८६६-९-६	विविध व्यक्तियोंसे बिना जमानतकी ब्याजसहित ली गअी रकम प्रमाणित यादीके अधीन	९,९१,५००-०-०	श्री मालका स्टाक — व्यवस्थापक-ट्रस्टीकी प्रमाणित यादीके मुताबिक लागत कीमतके आधार पर
		७,००,०००-०-०	पुस्तकोंका स्टाक
२,८७,६५३-१३-९	श्री जिम्मेदारी —	२,७२,०००-०-०	कागजका स्टाक
५८,८७०-४-९	खर्च पेटे	१०,०००-०-०	प्रेस-मशीन स्टाक
२,२८,७८३-९-०	पुस्तक-अमानत, विविध कर्ज वगैरा	३,६००-०-०	जिल्द-बंधाअी सामानका स्टाक
		५,९००-०-०	खादीका स्टाक
३९,६३,२१६-१२-६		१,०३,७४८-१३-०	श्री अनुवादकोंको तथा मालकी अमानत वगैरा खातोंकी रकमें
		२,०३,०१८-१०-०	दूसरोंसे वसूल करनेकी रकम : बगैर जमानतकी
		१,९४,६२६-१०-३	पुस्तक-बिक्री वगैराकी वसूल की जानेवाली विविध रकमें
		६,२६०-०-०	प्रोविडेन्ट फंडमें से कर्मचारियोंको दिया गया कर्ज

www.vinoba.in

८११-१५-९	कर्मचारियोंसे वसूल करनेका विविध कर्ज
१,३२०-०-०	दिसंबरके मकान भाड़ेकी वसूली बाकी
१५,९१४-१२-०	श्री मकान भाड़ेकी तथा सरकारके पास डाक-तार वगैरा विभागोंकी अमानतके
१,३०,०१५-०-०	पूंजी :
१,३०,०००-०-०	अहमदाबाद पी० को० ऑ० बैंक लि० के फिक्स्ड डिपोजिटमें प्रोविडेन्ट फंडकी रकम जमा
१५-०-०	अहमदाबाद पी० को० ऑ० बैंक लि० का १ शेयर पूरी रकम भरकर खरीदा हुआ
१,६१३-५-६	फिक्स्ड डिपोजिट पर चढ़े हुअे ब्याजके
२८,६१२-११-०	रोकड़ तथा बैंकमें —
२५,७९३-०-३	बैंकोंके चालू खातेमें जमा
७६३-१५-०	डाककी टिकटें
२,०५५-११-९	नकद बाकी हाथ पर मेलके अनुसार
३९,६३,२१६-१२-६	

हमने श्री नवजीवन संस्थाका ता० ३१-१२-'५५ के दिन पूरे हुअे वर्षका अूपरका बैलेन्सशीट और साथका अुसी दिन पूरे हुअे वर्षके आय-व्ययका हिसाब हिसाब-बहियोंके साथ जांचा है। अिसमें हमने जरूरी स्पष्टीकरण और जानकारी हासिल की है। हम मानते हैं कि हमें दिये गये स्पष्टीकरणों और संस्थाकी हिसाब-बहियोंके मुताबिक अूपरका बैलेन्सशीट संस्थाकी सच्ची स्थिति बताता है।

ता० ६-२-१९५६
५१, महात्मा गांधी रोड,
फोर्ट, बम्बअी

नानुभाअीकी कंपनी
चार्टर्ड अेकाअुन्टेन्ट्स
अेन्ड ऑडिटर्स

रविशंकर दवे
हिसाबनवीस

जीवणजी डा० देसाअी
व्यवस्थापक-ट्रस्टी

श्री नवजीवन संस्थाका ३१ दिसम्बर, १९५५ के दिन पूरे हुअे वर्षके आय-व्ययका हिसाब

जमा

रु०	आ०पा०	
४,३९,२७९-६-३		श्री मुद्रणालय विभागकी छपाअी, कागजखरीदी, पुस्तकोंकी जिल्द-बंधाअी, टाअिप-फाअुण्डरी वगैरासे हुअी कुल आय
१,०४,२६७-१०-३		श्री पुस्तक बिक्री विभागकी कुल आय
१९,१५९-०-०		श्री प्रूफरीडिंग और अनुवाद-विभागकी कुल आय
५,२१२-३-३		श्री पुस्तक पुरस्कार (रायल्टी) विभागकी कुल आय
६,७३२-७-०		श्री मकानभाड़ा विभागकी कुल आय
	१७,२०७-३-०	मकान-भाड़ेकी कुल आय
	— १०,४७४-१२-०	म्यु० टैक्स तथा शाखाओंके मकान-भाड़े वगैरा खर्चके
१,३२६-११-९		श्री जमीन, खादी, दावों तथा अन्य विविध साधनोंसे हुअी कुल आय
५,७५,९७७-६-६		

नामे

रु०	आ०पा०	
३,१७,७४९-१३-६		श्री वेतन खर्चके तथा प्रोविडेन्ट फण्डकी रकम ब्याजसहित
१०,८६०-२-६		श्री डाक-तार, पोस्टेज, रवानगी तथा लायब्रेरी और स्टेशनरी खर्चके
१४,९८१-९-६		श्री टेलीफोन तथा बिजलीकी लाअिटके खर्चके
९,०९७-१२-०		श्री मुसाफिरी, विविध, औषधालय तथा ऑडिटरके मेहनतानेके
२१०-६-०		श्री जमीन-मेहसूल खर्चके
४,३१९-१-०		श्री बीमा-प्रीमियम खर्चके
३७,८६२-३-९		श्री प्रेस मशीन खर्चके
६,०८१-१२-९		श्री जमीन तथा मकान-मरम्मत खर्चके
५९,४०७-४-०		श्री ब्याज-बट्टेके —
	६४,२२८-९-६	दिये हुअे ब्याज-बट्टेके
	— ४,८२१-५-६	मिले हुअे ब्याज-बट्टेके
६९,६८९-१-३		श्री घिसाअी-खर्चके (डिप्रीसियेशन चार्ज)
	६७,०००-०-०	मशीनों तथा टाअिपकी घिसाअीके
	२,६८९-१-३	सामान-असबाबकी घिसाअीके
४,८८२-१३-६		श्री पत्र-विभागके घाटेके (वेतन, डाक-तार, पोस्टेज, स्टेशनरी वगैराका खर्च छोड़ कर)
४०,८३५-६-९		श्री बाकी मकान-घिसाअीके, जो श्री मकान-फण्ड खातेमें बैलेन्सशीटमें ले गये
५,७५,९७७-६-६		

ता० ६-२-१९५६
५१, महात्मा गांधी रोड,
फोर्ट, बम्बअी

नानुभाअीकी कंपनी
चार्टर्ड अेकाअुन्टेन्ट्स
अेन्ड ऑडिटर्स

रविशंकर दवे
हिसाबनवीस

जीवणजी डा० देसाअी
व्यवस्थापक-ट्रस्टी

www.vinoba.in

हरिजनसेवक

१८ फरवरी १९५६

अहिन्दी प्रदेशोंकी भाषा-संबंधी मांगें

मद्रास धारासभाने सितम्बर १९५५ के अपने अधिवेशनमें भारतकी भाषा-समस्या पर चर्चा की। अुसका कारण सरकारका वह प्रस्ताव था, जिसमें कहा गया था कि "(भारत सरकारके) राजभाषा कमीशनने जो प्रश्नावली निकाली है, अुस पर विचार किया जाय।"

अुस बहसकी कार्रवाअी अनेक दृष्टियोंसे दिलचस्प है, खास तौर पर अिसलिअे कि अुससे विशिष्ट रूपसे यह चीज ब्यौरेवार जाननेको मिलती है कि भारतके अहिन्दी प्रदेश, खास करके मद्रास राज्य, अिस समस्याको किस दृष्टिसे देखते हैं और अुसके संबंधमें वे अपने लिअे क्या चाहते हैं। यह चीज अुस संशोधनमें स्पष्ट और निश्चित रूपसे जाननेको मिलती है, जो विधिवत् अूपरी सभामें पेश किया गया था और जिस पर बड़ी गंभीर चर्चा हुअी थी। निचली सभामें अिस तरहका विधिवत् संशोधन नहीं रखा गया था। लेकिन अुसकी बहस यह बताती है कि वह अूपरी सभाके संशोधनमें प्रकट किये गये विचारोंसे आम तौर पर सहमत है। मैं नीचे संशोधनका वह भाग अुद्धृत करता हूं, जिसे मूल प्रस्तावके अन्तमें जोड़नेकी बात कही गअी है:

> "और, अैसा विचार करके यह सभा मद्रास सरकारसे यह विनती करनेका प्रस्ताव पास करती है कि राजभाषा कमीशनकी प्रश्नावलीके अुत्तर तैयार करते समय वह अुनमें नीचेके सिद्धान्तों और सुझावोंका समावेश करे:
>
> (१) शासनके प्रयोजनोंके लिअे राज्यको अन्तमें प्रादेशिक भाषा या भाषाओंका अुपयोग करना चाहिये, और अिस प्रयोजनके लिअे हिन्दी नहीं अपनाअी जा सकती।
>
> (२) किसी स्थानीय राज्य और केन्द्रीय सरकार या अन्य किसी राज्यके बीचके सीमित व्यवहारके लिअे राज्यको आवश्यक हद तक अनुवादकों और दुभाषियोंकी सेवाओंका अुपयोग करना चाहिये।
>
> (३) जहां तक भारतीय संघकी सरकारी नौकरियोंकी परीक्षाओंका संबंध है, हिन्दी-भाषी और अहिन्दी-भाषी प्रदेशोंके लोगोंके लिअे अवसरकी समानताको निश्चित बनानेका अेक-मात्र अुचित अुपाय, जैसा कि संविधानमें बताया गया है, यह होगा कि अुम्मीदवारोंको संविधानमें बताअी गअी किसी भाषा या भाषाओंको चुननेकी अिजाजत दी जाय और देशमें अैसी भाषा या भाषायें बोलनेवाले लोगोंकी संख्याके अनुसार अिसका कोटा तय कर दिया जाय।
>
> (४) जहां तक अदालतोंकी भाषाओंका संबंध है, राज्यकी अदालतों और हाअीकोर्टमें प्रादेशिक भाषा या भाषाओंका अुपयोग किया जाना चाहिये।
>
> (५) राज्यकी धारासभामें अुपयोग की जानेवाली भाषा या भाषायें प्रादेशिक होनी चाहिये और पार्लमेन्टमें विभिन्न राज्योंके प्रतिनिधियोंको संविधानमें गिनाअी गअी प्रादेशिक भाषाओंमें बोलनेकी सारी सुविधायें दी जानी चाहिये।
>
> (६) केन्द्रीय सरकारकी नौकरियोंके लिअे भरती किये जानेवाले सरकारी नौकरोंके वास्ते, अैसी नौकरियोंके लिअे चुन लिये जानेके बाद, यह जरूरी कर देना चाहिये कि अगर वे अहिन्दी-भाषी प्रदेशोंके हों तो हिन्दीकी परीक्षा या परीक्षायें पास करें और अगर हिन्दी-भाषी प्रदेशोंके हों तो संविधानमें बताअी गअी किसी अन्य भाषाकी परीक्षा या परीक्षायें पास करें।
>
> (७) आन्तर-राष्ट्रीय अंकोंके साथ देवनागरी अंकोंका अुपयोग करनेकी कोअी जरूरत नहीं होनी चाहिये।
>
> (८) जहां तक प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों, युनिवर्सिटी वगैरामें शिक्षाके माध्यमका सवाल है, सारे शिक्षा-शास्त्रियों द्वारा प्रतिपादित यह सच्चा सिद्धान्त ध्यानमें रखना चाहिये कि मातृभाषाके स्वाभाविक माध्यमका ही शिक्षाकी तीनों अवस्थाओंमें अुपयोग किया जाना चाहिये; और जब अंग्रेजीको हटाया जाय तो अुसका स्थान प्रदेशकी भाषाको दिया जाना चाहिये।
>
> (९) अन्तमें, अिस सभाकी यह राय है कि अंग्रेजीका स्थान किसी अुपयुक्त प्रादेशिक भाषाको देनेके प्रश्न पर विचार करते समय ये बातें ध्यानमें रखी जानी चाहिये: प्रादेशिक भाषाका शिक्षाकी विभिन्न अवस्थाओंमें, खास करके अुच्च शिक्षण, टेकनिकल शिक्षण, यंत्रविज्ञानके शिक्षण और पेशोंके शिक्षणमें, कहां तक अुपयोग किया जा सकता है और बदली हुअी परिस्थितियोंकी जरूरतें पूरी करनेके लिअे विद्याकी अिन अुच्च शाखाओंमें योग्य और निष्णात लोग कहां तक अुपलब्ध हो सकते हैं।
>
> (१०) मातृभाषाको शिक्षाका माध्यम बनानेके बाद भी युनिवर्सिटी और अुच्च शिक्षणकी अवस्थामें किसी आन्तर-राष्ट्रीय भाषा (अंग्रेजी) के अध्ययनको आवश्यक महत्त्व दिया जाना चाहिये।"

अन्तमें सरकारकी ओरसे बहसका जवाब देते हुअे संबंधित मंत्री श्री अेम० भक्तवत्सलम्ने कहा:

> "महोदय, अिस संबंधमें मैं मद्रास युनिवर्सिटीके अुस ढंगकी तारीफ करूंगा, जिस ढंगसे अुसने कमीशनकी प्रश्नावलीमें अुठाये गये विभिन्न मुद्दोंके विचारपूर्ण अुत्तर तैयार किये हैं। मैं बिना किसी संकोचके यह कह सकता हूं कि मैं आम तौर पर मद्रास युनिवर्सिटी द्वारा प्रकट किये गये मतोंसे सहमत हूं। और मैं देखता हूं कि माननीय सदस्य श्री रजाखानने जो संशोधन पेश किया है, अुसमें युनिवर्सिटी द्वारा दिया गया अुत्तर लगभग आ जाता है। मैं यह भी कह सकता हूं कि संशोधनमें प्रकट किये गये मोटे विचारोंसे मैं आम तौर पर सहमत हूं। लेकिन सावधानीसे जांच किये बिना मैं संशोधनको स्वीकार नहीं कर सकता। मैंने वे सामान्य विचार प्रकट कर दिये हैं, जो मैं कुछ महीने पहले सरकारके रुखको बतानेके लिअे प्रकट कर चुका था। यह संशोधन मैंने अिसलिअे पेश किया है कि सरकार अपने अुत्तरोंको अंतिम रूप देनेसे पहले अिस सभाके माननीय सदस्योंके विचार जान ले। अिसलिअे मैं आशा करता हूं कि संशोधन रखनेवाले माननीय सदस्य अुस पर जोर नहीं देंगे।"

और सभाकी अिजाजतसे संशोधन वापिस ले लिया गया।

लेकिन पाठक आसानीसे यह समझ सकेंगे कि अिस संशोधनमें साधारण तौर पर युनिवर्सिटीकी, धारासभाकी और सरकारकी विचारपूर्ण राय आ जाती है। संक्षेपमें हम कह सकते हैं कि अिस संशोधनमें अिस बातका वर्णन आ जाता है कि अेक अहिन्दी राज्य अपने शिक्षण, शासन, न्याय, धारासभा वगैरासे संबंध रखनेवाले कामकाजमें अपनी प्रादेशिक भाषाका किस तरह अुपयोग करना चाहेगा। संशोधनमें यह कहा गया है कि तामिलनाड़ अपने सारे क्षेत्रोंमें पूरी तरह तामिल भाषाका ही अुपयोग करना चाहेगा।

हम जानते हैं कि संविधान यह व्यवस्था करता है कि कोअी राज्य कानून द्वारा अपने यहां काममें ली जानेवाली किसी अेक या

www.vinoba.in

अधिक भाषाओंको राज्यके सारे या किसी अेक प्रयोजनके लिअे अपना सकता है। युनिवर्सिटियां भी अपने लिअे कोअी निर्णय करनेके लिअे स्वतंत्र हैं। संघकी राजभाषा हिन्दी किसी राज्य पर अुसकी प्रादेशिक भाषाके स्थानमें किसी भी सत्ता द्वारा अूपरसे लादी नहीं जा सकती। अिसलिअे मद्रास धारासभा अिस विषयमें निश्चित रह सकती है। लेकिन ध्यान देने लायक और महत्त्वपूर्ण प्रश्न तो अिसके बाद खड़ा होता है: कोअी अहिन्दी-भाषी राज्य आन्तर-भाषा हिन्दीके बारेमें क्या करेगा, जो आन्तर-राज्य और संघके कामकाज और व्यवहारका माध्यम है? मद्रास धारासभाका अुपरोक्त संशोधन अिस बड़े मुद्दे पर कुछ नहीं कहता, जो भारी भूल कही जायगी। हिन्दीकी, न कि अंग्रेजीकी, अिस स्थितिको स्वीकार करनेमें ही राष्ट्रीय अेकताके निश्चित विचारका दर्शन होता है, और अिसी तरह अुसका सम्मान किया जा सकता है। राष्ट्रने खास तौर पर अहिन्दी-भाषी प्रदेशोंके राज्यों और युनिवर्सिटियों द्वारा स्वेच्छा और अुत्साहसे किये जानेवाले प्रयत्नोंके बल पर हिन्दीको यह सम्मान और पद देनेका निर्णय किया है। अुपरोक्त संशोधनमें बताये गये ढंग पर प्रदेशों द्वारा अपनी प्रादेशिक भाषाओंके पूर्ण अुपयोगकी शर्त पूरी हो जानेके बाद स्वाभाविक प्रश्न यह खड़ा होता है कि संविधानकी धाराओंमें हमारे अखिल भारतीय प्रयोजनोंके लिअे अेक सर्वसामान्य भारतीय भाषा — हिन्दीका निर्माण करनेके लिअे जो कहा गया है, अुस पर अमल करनेके लिअे क्या किया जाय? अिसका अुत्तर भी अुतना ही स्वाभाविक या स्पष्ट है: राज्यों और युनिवर्सिटियोंको अपने प्रदेशोंके कामकाजके लिअे अपनी प्रादेशिक भाषाओंका अुपयोग शुरू कर देना चाहिये और साथ ही साथ अपने सारे स्कूलों और कालेजोंमें सर्वसामान्य अखिल भारतीय माध्यम हिन्दीका अनिवार्य शिक्षण तुरन्त दाखिल करके अुसका ज्ञान प्राप्त करने लग जाना चाहिये। भारतकी अेकताके लिअे यह जरूरी है कि अब अिस कार्यक्रमको तुरन्त अखिल भारतीय स्तर पर हाथमें लिया जाय। मद्रासके संशोधनके साथ यह कार्यक्रम हमारे लिअे संक्षेपमें अहिन्दी-भाषी प्रदेशोंके भाषा-संबंधी अधिकारों और कर्तव्योंकी व्याख्या करता है।

८–२–'५६ **मगनभाई देसाई**

(अंग्रेजीसे)

अंग्रेजीको हटाया जाय या रखा जाय?

तामिलनाड़के कुछ प्रमुख सार्वजनिक कार्यकर्ताओंने मद्राससे अेक वक्तव्य निकाला है, जिसमें अंग्रेजीको **अनिश्चित** समयके लिअे आन्तर-राज्य और भारतीय संघके कामकाजकी राजभाषा रखनेकी यानी ब्रिटिश राजके जमानेमें अंग्रेजीका जैसा अुपयोग होता था वैसा ही जारी रखनेकी हिमायत की गअी है।

हम जानते हैं कि भारतका संविधान १९६५ तक अंग्रेजीको राजभाषा कायम रखनेकी व्यवस्था करता है। अैसा होते हुअे भी संविधानके मातहत राष्ट्रपतिको अंग्रेजी भाषाके साथ-साथ संघकी राजभाषा हिन्दीके अुपयोगकी भी अिजाजत देनेकी सत्ता है। १९६५ के बाद अगर जरूरी मालूम हो तो पार्लमेन्ट कानून बनाकर केवल विशेष प्रयोजनोंके लिअे अंग्रेजीको कायम रखनेकी व्यवस्था कर सकती है।

अिसके सिवा, संविधानकी धारा ३४४ के मातहत राष्ट्रपतिको संविधानके आरंभके बाद हर पांच सालमें दो बार अेक कमीशन नियुक्त करना होगा; हम जानते हैं कि पहला कमीशन तो पिछले साल नियुक्त किया जा चुका है, जो अपना काम आजकल कर रहा है। और राष्ट्रपतिको अैसे कमीशनकी तथा धारा ३४४ (४) के मातहत अिस प्रयोजनके लिअे विशेष रूपसे बनाअी जानेवाली पार्लमेन्टरी कमेटीकी सिफारिशोंके अनुसार संघके सारे सरकारी प्रयोजनों या किसी प्रयोजनके लिअे अंग्रेजीके अुपयोगको रोकनेका आदेश देनेकी भी सत्ता है।

यह सब बताता है कि संविधान संघकी राजभाषाके रूपमें अंग्रेजीके अुपयोग पर रोक लगाता है और १९६५ तक क्रमशः बढ़ती हुअी मात्रामें अंग्रेजीकी जगह हिन्दीको देनेका आदेश देता है, लेकिन साथ ही अुसने यह व्यवस्था भी की है कि अगर अिस अवधि तक हिन्दी पूरी तरह अंग्रेजीकी जगह न ले सके, तो पार्लमेन्टके विशेष कानूनसे खास प्रयोजनोंके लिअे अंग्रेजीका अुपयोग जारी रखा जा सकता है।

यह बड़े आश्चर्यकी बात है कि तामिलनाड़का अुपरोक्त वक्तव्य नअी रचनामें हिन्दीके स्थान-संबंधी अूपर बताअी वैधानिक आवश्यकताके बारेमें बिलकुल खामोश है और कहता है कि अंग्रेजीको अनिश्चित समयके लिअे कायम रखा जाय! यह बड़ी गलती है, जिसका खुलासा करना जरूरी है।

मद्रासके वक्तव्यमें अेक दूसरी भी महत्त्वपूर्ण बात कही गअी है। वह कहता है कि नीचेके दो प्रश्न — (१) किसी राज्यकी राजभाषा क्या हो? और (२) शिक्षाका माध्यम क्या हो? — "अलग रखे गये हैं, क्योंकि अुनका विचार बिलकुल भिन्न दृष्टिसे होना चाहिये और अुन्हें" संघकी राजभाषाके "अिस प्रश्नके साथ मिला नहीं देना चाहिये।"

स्पष्ट ही यह सही या अुचित रुख नहीं है। ये दो प्रश्न संघकी राजभाषाके विशाल प्रश्नके साथ घनिष्ठ रूपमें जुड़े हुअे हैं। अिसलिअे भाषाकी समस्या पर अिस तरह टुकड़ोंमें या तोड़-मरोड़ कर विचार करना गलत चीज है।

अिसके अलावा, अगर हम भारतके संविधान पर दृष्टि डालें, तो हम देखते हैं कि वह हमारे सामने अिस बातका संपूर्ण विचार या सामान्य तस्वीर पेश करता है कि हमें भाषाके प्रश्न पर अुसके सारे पहलुओंसे कैसे विचार करना चाहिये और अुसे हमारी सारी महान प्रादेशिक भाषाओं तथा राज्योंके समस्त सच्चे और अुचित दावों तथा महत्त्वाकांक्षाओंका पूरा पूरा खयाल रखकर कैसे हल करना चाहिये। वह हमें अपनी आन्तर-भाषा (सर्वसामान्य अखिल भारतीय भाषा)का भी (जो अंग्रेजी नहीं होगी) "भारतकी मिली-जुली संस्कृतिके सारे तत्त्वोंके लिअे अभिव्यक्तिके माध्यमके रूपमें" — स्वतंत्र और स्वाधीन 'सार्वभौम लोकतांत्रिक गणराज्य'के नाते महान भारतीय राष्ट्रके नये जीवन और पुरुषार्थकी अभिव्यक्तिके रूपमें, और अिसलिअे राष्ट्रको अेक जीवित **भारतीय** भाषाका अखिल भारतीय माध्यम प्रदान करके अुसकी अेकताका निर्माण करनेवाले साधनके रूपमें विकास करनेका आदेश देता है।

तामिलनाड़के वक्तव्यसे संबंध रखनेवाली जो बातें अूपर बताअी गअी हैं, अुनके बारेमें खुलासा होना जरूरी है। वह **व्यावहारिक** दलीलोंके आधार पर अपनी बातके अुचित होनेका दावा करता है, लेकिन ये दलीलें गहरी जांचके सामने टिक नहीं सकतीं। अिसके सिवा, वे लोकशाहीके खिलाफ हैं तथा हमारे राष्ट्रीय सम्मानको हानि पहुंचानेवाली हैं। अंग्रेजीको, जिसे केवल हमारे ½ प्रतिशत लोग कुछ हद तक जानते हैं, राजभाषा कायम रखनेका मतलब होगा अेक छोटेसे वर्गका — अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीय नौकरशाहीका राज। अुसकी कुछ ही बुराअियोंका जिक्र किया जाय तो वह सच्ची शिक्षाको नुकसान पहुंचाकर हमारी शिक्षा-प्रणाली पर शासन करती रहेगी। हमने अिस अपमानको बनाये रखनेके लिअे स्वराज्यकी लड़ाअी नहीं लड़ी थी। लेकिन मैं यहां अिसकी और ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा।

५–२–'५६ **मगनभाई देसाई**

(अंग्रेजीसे)

www.vinoba.in

अुत्तर-बुनियादी तालीम

[ता० १९ से २२ जनवरी, १९५६ तक सेवाग्राम, वर्धामें हुअे प्रथम अुत्तर-बुनियादी तालीम सम्मेलनके अुद्घाटन-भाषणसे।]

१

राष्ट्रीय शिक्षणकी समान पद्धति

जहां तक सिद्धान्तका सम्बन्ध है, परम्परागत शिक्षणके खिलाफ बुनियादी तालीमकी लड़ाअी, जो १९३७ में शुरू हुअी थी, जीत ली गअी है। बुनियादी तालीमको राष्ट्रीय शिक्षणका नमूना स्वीकार कर लिया गया है और मौजूदा स्कूलोंको बुनियादी स्कूलोंमें बदलनेके प्रयत्न चल रहे हैं। लेकिन व्यवहार सिद्धान्तसे पीछे रह गया है और मौजूदा शिक्षण-संस्थाओंको बुनियादी स्वरूप देनेका काम अुतनी तेजीसे नहीं हो सका है जितनी तेजीसे हम करना चाहते थे। अपरिवर्तनवादी ताकतें न केवल शिक्षणके व्यवस्था-तंत्रमें मजबूत जड़ जमाये हुअे हैं, बल्कि माता-पिता और शिक्षकोंका भी समर्थन अुन्हें प्राप्त होता है। अिसलिअे बुनियादी तालीमको तब तक अपनी लड़ाअी जारी रखनी होगी, जब तक संपूर्ण शिक्षण-पद्धति बदलकर राष्ट्रकी जरूरतोंके अनुकूल नहीं बन जाती।

बुनियादी बनाम परम्परागत शिक्षण

मेरी रायमें बुनियादी तालीम और परम्परागत शिक्षणका साथ-साथ रहना आज भारतके शिक्षण-क्षेत्रमें सबसे गंभीर समस्या हमारे सामने है। जिन राज्योंमें बुनियादी तालीम दाखिल की गअी है, वहां वह ग्रामीण प्रदेशों तक ही मर्यादित है और शहरी भागोंमें बाकीके स्कूल पुरानी परम्परागत पद्धतिसे ही शिक्षण दे रहे हैं। माध्यमिक शिक्षण बोर्ड और अुच्च शिक्षणकी संस्थायें अिन बुनियादी स्कूलोंको मान्यता नहीं देतीं और बुनियादी स्कूलोंसे बाहर निकलनेवाले विद्यार्थियोंको हाअीस्कूलोंमें भरती होनेके लिअे अेक और प्रवेश-परीक्षा देनी होती है। कुछ अुत्तर-बुनियादी संस्थायें भी शुरू की गअी हैं, लेकिन अुनके विद्यार्थियोंको भी युनिवर्सिटियोंमें प्रवेश पानेमें कठिनाअी होती है। चूंकि माध्यमिक शिक्षण बोर्ड और युनिवर्सिटियां स्वतंत्र संस्थाअें होती हैं, अिसलिअे केन्द्रीय सरकार या राज्य-सरकारोंका अुन पर कोअी सीधा नियंत्रण नहीं होता। अिस तरह, बुनियादी तालीमके दाखिल होनेसे भारतीय शिक्षण-क्षेत्रमें दो समानान्तर शिक्षण-पद्धतियां अुत्पन्न हो गअी हैं। कोअी राष्ट्र अपनी अेकताको खतरेमें डाले बिना आम लोगों और वर्गोंके लिअे दो समानान्तर शिक्षण-पद्धतियां नहीं चला सकता।

वर्ग बनाम आम जनता

बुनियादी तालीमका मुख्य अुद्देश्य वर्गों और आम जनताके शिक्षणके भेदोंको कमसे कम करना है, परन्तु अैसा करनेके बजाय अुसने अिस खाअीको और बढ़ा दिया है। अिस वक्त हमारी शिक्षण-पद्धतिमें तीन प्रकारके स्कूल काम कर रहे हैं: बेसिक स्कूल, हाअीस्कूल और पब्लिक स्कूल। ये स्कूल हमारे समाजके तीन अलग अलग तबकोंका प्रतिनिधित्व करते हैं।

बुनियादी स्कूल अधिकतर ग्रामीण हिस्सोंमें हैं और ग्रामीण समाजोंके बालकोंकी सेवा करते हैं। वे बाकीकी पद्धतिके साथ जुड़े हुअे नहीं हैं और अगर ये बालक अपनी पढ़ाअी आगे जारी रखना चाहें तो अुत्तर-बुनियादी स्कूलोंमें ही जा सकते हैं, जिन्हें युनिवर्सिटियां मान्य नहीं करतीं। हाअीस्कूल मध्यमवर्गके लोगोंकी सेवा कर रहे हैं, जिनके बालक युनिवर्सिटी-शिक्षणके जरिये अूंचीसे अूंची सीढ़ी पर चढ़नेकी आशा रख सकते हैं।

अिसके बाद, हर राज्यमें अब पब्लिक स्कूलोंका संगठन किया जा रहा है, जहां भारत-सरकार द्वारा दी गअी कुछ छात्रवृत्तियोंको छोड़कर पैसेके आधार पर ही भरती की जाती है। अिस तरह ये स्कूल धनी लोगोंके लिअे सुरक्षित हो जाते हैं।

यह हालत अैसे समाजमें कैसे जारी रह सकती है, जो समाजवादी स्वरूपकी व्यवस्था कायम करना चाहता है? हमारे जैसे विशाल देशमें हम अपनी शिक्षण-पद्धतिमें कट्टर समानता या अेकरूपता नहीं रख सकते, परन्तु शिक्षण-पद्धतिको हमारे समाजकी मौजूदा वर्ग-रचनाको जारी रखने देनेका मतलब होगा लोकतांत्रिक समाजके आधारको ही खतरेमें डालना। अगर भारतको अेक शक्तिशाली राष्ट्र बनना है, तो हमारे देशमें अैसी शिक्षण-पद्धति होनी चाहिये, जो प्रत्येक बालकको विकासका पूरा मौका दे — भले अुसकी सामाजिक या आर्थिक हैसियत कैसी भी क्यों न हो।

ग्रामीण बनाम शहरी पद्धति

कोअी लोकतांत्रिक समाज ग्रामीण और शहरी लोगोंके लिअे शिक्षणकी दो अलग पद्धतियां नहीं रख सकता। अेक गांवसे दूसरे गांवके, गांवोंसे कस्बोंके और कस्बोंसे बड़े शहरोंके पाठ्यक्रममें फर्क हो सकता है, लेकिन शिक्षण-पद्धतिमें अैसी कोअी रुकावटें नहीं हो सकतीं, जो किसी भी वर्गके लोगोंको शिक्षणकी अूंचीसे अूंची सीढ़ी पर चढ़नेसे रोकें। अगर हम दो समानान्तर पद्धतियोंको साथ-साथ चलते रहने देंगे, तो हम समाजके मौजूदा भेदोंको बढ़ानेका ही काम करेंगे। ये भेद समाजके तबकोंको मजबूत बनायेंगे, जो सामाजिक मेलके रास्तेमें रुकावट डालेंगे और जो आखिरमें सामाजिक प्रगतिको रोक सकते हैं।

अिसलिअे दोनों पद्धतियोंको जोड़ देना चाहिये, ताकि गांव और शहर दोनों भारतमें सहकारी सामाजिक व्यवस्था निर्माण करनेमें हिस्सा ले सकें। बुनियादी तालीमको राष्ट्रीय शिक्षणका नमूना स्वीकार कर लेनेके बाद हमें सारे स्कूलोंको बुनियादी स्कूलोंमें बदल देना चाहिये और अिन दो पद्धतियोंको जोड़कर अेक राष्ट्रीय पद्धतिका रूप दे देना चाहिये।

२

रास्तेकी कठिनाअियां

अिन दो पद्धतियोंको जोड़नेमें कुछ कठिनाअियां हैं। पहली कठिनाअी बुनियादी और अुत्तर-बुनियादी स्कूलोंमें अंग्रेजीके स्थानके बारेमें है।

(अ) अंग्रजीको हटाना

माध्यमिक शिक्षण कमीशनने यह सिफारिश की है कि हाअी-स्कूलकी अवस्थामें अंग्रेजी अैच्छिक विषयके रूपमें पढ़ाअी जा सकती है। यह दो सिरोंकी रायोंके बीच किया गया समझौता था — अेक वह जो मानती थी कि बुनियादी अवस्थामें अंग्रेजी अनिवार्य विषयके रूपमें पढ़ाअी जानी चाहिये और दूसरी वह जो मानती थी कि बुनियादी अवस्थाके अन्त तक अंग्रेजीका पाठ्यक्रममें कोअी स्थान नहीं होना चाहिये। स्वतंत्रताके बादसे अंग्रेजी भाषाका विरोध बहुत कमजोर पड़ गया है और लोगोंकी राय फिरसे अंग्रेजीके पक्षमें हो गअी है। अब लोगोंमें यह भावना बढ़ रही है कि अंग्रेजी भाषाके काफी ज्ञानके अभावमें शिक्षणका स्तर आम तौर पर नीचे गिरेगा, खास करके विज्ञान और हुनर-विज्ञानमें, जिससे अन्तमें हमारे राष्ट्रीय विकास पर बुरा असर पड़ेगा। यह दलील दी जाती है कि हमें हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओंके विकासका अपना प्रयत्न शिथिल नहीं करना चाहिये, लेकिन अंग्रेजीको हटाना बड़ी भारी गलती होगी जो न केवल बाकीकी दुनियासे सम्पर्क स्थापित करनेमें हमारी मदद करती है, बल्कि जो हमारे लिअे आज विज्ञानका दरवाजा खोलती है। यह भी सुझाया गया है कि अंग्रेजीको दूसरी राजभाषा कायम रखना चाहिये।

(आ) अुत्पादन

बुनियादी तालीमका अेक दूसरा पहलू है, जिसका मामूली स्कूलोंको बुनियादी स्कूलोंमें बदलते समय विचार करना जरूरी

www.vinoba.in

हो जाता है। अुत्पादनको हमेशा बुनियादी तालीमका आवश्यक पहलू माना गया है। प्रत्येक स्कूलमें अिस अुत्पादनसे होनेवाली आय अलग अलग हो सकती है, क्योंकि वह कअी बातों पर निर्भर करती है और वह अलग अलग ढंगसे खर्च की जा सकती है — अुदाहरणके लिअे, स्कूलोंके सुधारमें या बच्चोंको दोपहरका खाना देनेमें; लेकिन अगर हम बच्चोंको अुद्योगके सरंजामके साथ खेल करने दें और अुत्पादनके पहलूको बिलकुल भुला दें, तो हम बुनियादी तालीमके सारे आधारको ही खो देते हैं। आज अिसका महत्त्व और बढ़ गया है, क्योंकि हम दूसरी पंचवर्षीय योजनामें प्रवेश कर रहे हैं।

अुत्तर-बुनियादी या विविध पाठ्यक्रमवाले स्कूल

माध्यमिक शिक्षण कमीशनकी अेक सबसे महत्त्वपूर्ण सिफारिश यह है कि माध्यमिक अवस्थामें दस्तकारियों और अुत्पादक काम पर ज्यादा जोर दिया जाना चाहिये। अुसने यह भी सिफारिश की है कि पाठ्यक्रमोंमें विविधता रखी जानी चाहिये, ताकि विद्यार्थी खेतीका, यंत्र-विज्ञानका, व्यापारका या दूसरा कोअी व्यावहारिक पाठ्यक्रम ले सकें। कमीशनकी सिफारिशोंका सावधानीपूर्वक किया गया अध्ययन यह बतायेगा कि अुनमें बुनियादीसे माध्यमिक अवस्थाका अेकाअेक सम्बन्ध टूटना टाला गया है। माध्यमिक स्कूलके शुरूके वर्षोंके कामका विकास स्वभावतः बुनियादी स्कूलके कामसे होगा।

वास्तवमें विविध पाठ्यक्रमोंवाले स्कूलका मतलब है माध्यमिक अवस्थामें बुनियादी तालीमके सिद्धान्तको जारी रखना। यह आशा की जाती है कि अिन पाठ्यक्रमोंके अन्तमें अधिकतर विद्यार्थी विभिन्न धंधोंमें नौकरियां पा जायेंगे या दूसरी पंचवर्षीय योजनामें सोची गअी अुत्पादनकी विकेन्द्रित अिकाअियोंमें स्वतंत्र रूपसे काम करने लगेंगे। केवल विद्यार्थियोंकी सीमित संख्या ही, जो कालेज शिक्षणसे लाभ अुठा सकती है, अुच्च शिक्षणकी संस्थाओंमें जायगी। अधिकतर विद्यार्थी तो माध्यमिक अवस्थामें ही अपना शिक्षण पूरा कर लेंगे और पुनर्गठनकी नअी योजना अुसी हद तक सफल होगी, जिस हद तक माध्यमिक शिक्षण पूरा करके बाहर निकलनेवाले विद्यार्थी विभिन्न धंधोंके लिअे तैयार होंगे।

संस्कृति और धंधा

किसी धंधेका ज्ञान न देनेवाला साहित्यिक शिक्षण भूतकालमें निकम्मा साबित हुआ है। भविष्यमें धंधों और संस्कृतिको अेक-दूसरेमें ओतप्रोत हो जाना होगा। नौजवानोंको खेतोंमें, कारखानोंमें और मशीनों पर काम करके अपने हाथोंको तालीम देनी चाहिये, ताकि वे संस्कृतिके फलोंका अुपभोग कर सकें। व्हाअिटहेडके अिन शब्दोंमें बड़ा सत्य समाया हुआ है: "हमें अैसे मनुष्य पैदा करनेका ध्येय रखना चाहिये, जो संस्कृति और किसी विशेष दिशामें पूर्ण ज्ञान दोनों रखते हैं। अुनका पूर्ण ज्ञान अुनको जीवनका आरंभ करनेका आधार प्रदान करेगा और अुनकी संस्कृति अुन्हें तत्त्व-ज्ञानकी गहराअीमें और कलाकी अूंचाअी तक ले जायगी।"

सामान्य बनाम धंधेका शिक्षण

हमारे हाअीस्कूलोंको, जिन्होंने अभी तक फुरसतवाले वर्गोंकी सेवा की है, अब अिस तरहसे बदल देना चाहिये कि वे मेहनत-मशक्कत करके जीवन-निर्वाह करनेवाली आम जनताकी सेवा कर सकें। माध्यमिक शिक्षण पर अगर साहित्यिक या 'पुस्तकीय शिक्षा' की परंपराका अधिकार बना रहा, तो वह आम जनताकी जरूरतें पूरी नहीं कर सकेगा और देशके नौजवानोंको बेकारी और निराशाका सामना करते ही रहना पड़ेगा। विविध पाठ्यक्रमोंवाला स्कूल वास्तवमें दुहरे-अुद्देश्यवाला स्कूल होगा। वह अधिकतर बालकोंको धंधोंकी तालीम देगा, ताकि हाअीस्कूल छोड़ते ही वे कोअी धंधा चला सकें। साथ ही वह अैसे बालकोंके लिअे भी अनुकूल पाठ्यक्रमोंकी व्यवस्था करेगा, जो कला (आर्ट्स), विज्ञान या पेशे-संबंधी अुच्च शिक्षण ग्रहण करनेके लिअे युनिवर्सिटियोंमें जाना चाहते हैं।

यहां अेक गलतफहमी दूर कर दी जानी चाहिये। हाअीस्कूल शिक्षणकी अवस्थामें धंधोंके शिक्षणकी संकुचित कल्पना नहीं की गअी है। अुसमें सामान्य या साहित्यिक शिक्षणका कार्यक्रम भी शामिल है, जो बालकों और नौजवानोंको दिशा और मूल्योंकी समझ देता है। सामान्य शिक्षण और धंधोंके शिक्षणके बीच किसी तरहकी होड़ नहीं है। जो सामान्य शिक्षण मनुष्यको किसी विशेष धंधेके लिअे तैयार नहीं करता वह निकम्मा है। "शिक्षणमें जहां भी आप विशेषज्ञताका बहिष्कार करते हैं, वहां आप जीवनका नाश कर देते हैं।" दूसरी ओर अगर हम सामान्य शिक्षणको सर्वथा छोड़ देते हैं तो धंधोंका शिक्षण यांत्रिक बन जाता है और मनुष्यको पशु बना देता है।

(अंग्रेजीसे) के० अेल० श्रीमाली

अिंग्लैण्डका आर्थिक संकट

[तीसरे मार्गके आन्दोलनके अंग्रेज हिमायती श्री विल्फ्रेड वेलॉक ११ नवम्बर, १९५५ के 'पीस न्यूज़' में अिंग्लैण्डके हालके आर्थिक संकटकी चर्चा करते हुअे कहते हैं कि १९४९ से आज तक अपने ढंगका यह चौथा संकट है और आगे जोड़ते हैं कि "ये चार आर्थिक संकट सूचित करते हैं कि हमारी अर्थ-व्यवस्थामें कोअी बुनियादी गलती है, और वह अस्थायी तथा असुरक्षित है।"

अुनकी रायमें यह संकट केवल आर्थिक नहीं है; अुसने मौजूदा ब्रिटिश अर्थ-व्यवस्थाके स्वरूपमें गहरी जड़ें जमा ली हैं। लेखक अपने मतको समझानेकी कोशिश करते हैं, संकटके कारणोंमें गहरे अुतरते हैं और अुससे बाहर निकलनेका रास्ता सुझाते हैं। नीचेका हिस्सा अुसी लेखसे अुद्धृत किया गया है।

वह मार्ग गांधीजी द्वारा बताये गये सर्वोदय आदर्शके स्वरूपका है। वह लेख अेक दूसरे मुद्दे पर भी प्रकाश डालता है, जो आन्तर-राष्ट्रीय दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण है। पश्चिमके साम्राज्यवादी देशोंने अपने विदेशी अुपनिवेशोंका शोषण करके अपना जीवन-मान अूंचा अुठाया है। अेशिया और अफ्रीका अब अपनी स्वतंत्रता और स्वतंत्र विकासकी जरूरतोंके प्रति जाग्रत हो गये हैं, अिसलिअे पुरानी जमी हुअी व्यवस्थामें और अुपनिवेशोंके शोषणके बल पर फलने-फूलनेवाले देशोंकी अर्थ-रचनामें गड़बड़ी पैदा हुअे बिना नहीं रहेगी। अुन्हें मृतप्राय औपनिवेशिक व्यवस्थासे अुत्पन्न जीवनके विचारों और आदतोंमें परिवर्तन और सुधार करना होगा। अूपरसे अिसका मतलब अुस अस्वाभाविक रूपमें अूंचे जीवन-मानको घटाना हो सकता है, जो औपनिवेशिक प्रजाओंके शोषण और अुनके हथियाये हुअे बाजारोंके आधार पर, अर्थात् अुनकी गरीबी और जबरन् लादी हुअी बेकारीके आधार पर, टिका हुआ है। अिसलिअे पाश्चात्य जीवन-पद्धतिके अिन बढ़े हुअे मानोंको दूसरोंके समान बनानेकी प्रक्रिया शुरू हुअे बिना नहीं रहेगी। श्री वेलॉक अुसे "परिमाण पर आधारित सभ्यताका स्थान गुणों पर आधारित सभ्यताको देना, और अिस तरह व्यक्तिगत और सामाजिक जीवनको नया स्वरूप प्रदान करना" कहते हैं।

भारतमें आज हम अपने देशकी नअी अर्थ-रचनाके द्वार पर खड़े हैं। अिसलिअे हमें दूसरे देशोंके आर्थिक और सामाजिक जीवनके प्रवाहोंका निरीक्षण करना चाहिये, ताकि आजकी नअी

www.vinoba.in

दुनियामें पुराने पड़ रहे अुन प्रवाहोंकी अंधी नकल करनेसे हम अपनेको वचा सकें।

३१-१२-'५५ —म० प्र०]

हम फिरसे अेक आर्थिक संकटके शिकार हो गये हैं; वेशक वह छोटा है, लेकिन अिस अर्थमें अुसका कुछ महत्त्व जरूर है कि १९४९ से आज तकके अर्सेमें वह चौथा संकट है।

प्रत्येक संकटके समय चीजों और सेवाओंके अुपभोग पर नियंत्रण रखनेकी मांग की गअी है, ताकि निर्यातकी मात्रा बढ़ाअी जा सके और हमारी जरूरतकी चीजोंकी पूर्ति निश्चित बनाअी जा सके। चूंकि हमें आधीसे ज्यादा खुराक और कोयले तथा कुछ हद तक लोहे और अूनके सिवाय सारा कच्चा माल बाहरसे मंगाना पड़ता है, अिसलिअे हमारी अर्थ-रचना अत्यन्त अस्थायी और कमजोर है। वह मानो तलवारकी धार पर चलती है: हमारे निर्यातकी मात्रा थोड़ी भी गिरी कि खतरेकी घंटी बज अुठती है।

लड़ाअीके बाद शुरूके कुछ वर्षोंकी हमारी खुशहालीने हमें झूठी सुरक्षितताके भुलावेमें डाल दिया। युरोपके अधिकतर देशोंकी विध्वस्त स्थितिके कारण ब्रिटेन और अमेरिकाको दुनियाके बाजारोंका अेकाधिकार मिल गया। अिस हकीकतकी वजहसे और अमेरिकासे मिली हुअी आर्थिक मददकी वजहसे ब्रिटेन अपनी खोअी हुअी पैसेकी और आर्थिक सत्ता बहुत हद तक फिरसे प्राप्त कर सका और अपना कल्याण-राज्य भी कायम कर सका। अिसने ब्रिटेनके राजनीतिज्ञों और अर्थशास्त्रियोंको 'फैलनेवाली अर्थ-रचना' के अुत्तेजनकी वजहसे दिनोंदिन बढ़नेवाली समृद्धिकी आशा दिलानेको भी ललचाया।

लेकिन १९४९ तक लड़ाअीमें बरबाद हुअे युरोपके देशोंकी हालत काफी सुधर गअी और वे दुनियाके बाजारोंकी होड़में फिर शरीक होने लायक तथा 'फैलनेवाली अर्थरचना' की आशाओंको अपनाने लायक भी बन गये।

लेकिन जब बीसों राष्ट्र फैलनेवाली अर्थ-रचनाके लिअे तेजीसे खर्च करनेमें लगे हों, तब भविष्य अनिश्चित हो जाता है।

अिसके अलावा, दुनियाके अर्ध-विकसित दो-तिहाअी देश धरतीकी साधन-सामग्रीके अधिक न्यायपूर्ण भागकी मांग करनेवाले हैं। वे कुछ साल तक रोजके अुपयोगका सामान कमसे कम और यंत्र-सामग्री अधिकसे अधिक मंगायेंगे, जिसके बाद वे खुद यह सामग्री अुत्पन्न करनेकी आशा रखते हैं।

अिस पेचीदा और अनिश्चित स्थितिमें पश्चिमके राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री चक्करमें पड़ गये हैं, जब कि बड़े बड़े औद्योगिक राष्ट्र भविष्यके डरसे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कच्चे माल पर अधिकसे अधिक अेकाधिकारकी सत्ता प्राप्त करनेके लिअे जमीन-आसमान अेक कर रहे हैं।

अिस तरह अेक बड़े आर्थिक संकटका आभास मिल रहा है। ब्रिटेनकी फैलनेवाली अर्थ-रचना मौजूदा होड़की हालतोंमें जितने बाजारोंको निश्चित बनाया जा सकता है अुससे ज्यादा बाजारोंकी मांग करती है। अिसलिअे घरेलू खपत पर नियंत्रण लगाया जाना चाहिये, अुत्पादनकी गति बढ़ायी जानी चाहिये और निर्यातको पहली पसन्दगी दी जानी चाहिये। लेकिन अगर मुनाफे पर कोअी अंकुश न रखा जाय, जैसा कि १९५५ के बजटमें हुआ, तो मजदूरी बढ़ानेके दावे किये जायंगे — भले अुसका नतीजा कुछ भी हो।

अिसके बाद अपने-आप चलनेवाले यंत्रोंकी मांग आती है। लेकिन अफसोस है कि वह भी अेक दर्जनभर राष्ट्रोंकी ओरसे आती है! तो फिर आशा किस ओर है?

यह सर्वभक्षी भौतिकवादी सम्यताका अनिवार्य संकट है।

* * *

अिसका हल अिस बातमें है कि परिमाण पर आधार रखनेवाली सम्यताका स्थान गुणों पर आधार रखनेवाली स्थायी सम्यताको दिया जाय, और अिस तरह व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवनको नया स्वरूप प्रदान किया जाय।

मौजूदा अर्थ-रचना सारा जोर पैसे पर या चीजों और सेवाओंके अधिकसे अधिक अुपभोग पर देती है। वह भोग-विलास, अैश-आराम और सामूहिक अुत्तेजनाओंका अेक चक्र अुत्पन्न करती है, जिनमें अब बड़े खेल-कूद, रेडियो-टेलीविजनका मनोरंजन, चटपटी खबरें और तेज गतिवाले वाहनोंमें घूमना वगैरा शामिल है।

लेकिन क्या यह सारे युगोंके सन्तों और पैगम्बरोंने तथा ४० साल पहलेके समाजवादी नेताओंने जिस सुन्दर जीवनकी घोषणा की थी, वही सुन्दर जीवन है?

अुसके बाद झूठे पैगम्बरोंने हमें यह विश्वास दिलाया है कि आविष्कार सर्जनात्मक फुरसतके युगको जन्म देगा, जिसमें 'अुच्चतर श्रेणीकी नअी कलाओंका विकास होगा।'

लेकिन अुसने अैसा नहीं किया है।

अुसके बदले हमारा युग पैसेकी मांगोंसे घिर गया है, — वह पैसा जो लगभग अैसी हर वस्तु खरीद सकता है जिसे अधिकतर लोग आज जीवनके बराबर ही समझते हैं।

अिस जीवन-पद्धतिमें से दुनियाके बाजारों और मालकी पूर्तिका अत्यन्त अुन्मादपूर्ण संघर्ष और तीसरा विश्वयुद्ध जन्म लेगा, अगर अिस खोजमें मिलनेवाली असफलता व्यापक पैमाने पर आर्थिक निराशाको और साम्यवादकी अेक नअी लहरको जन्म दे।

दूसरा मार्ग अुस जीवनका है, जो भौतिक मांगोंको आध्यात्मिक सिद्धान्तों और मूल्योंके अधीन रखता है और जो दैनिक श्रममें जिम्मेदारीके पालन द्वारा, सर्जनात्मक आत्म-अभिव्यक्ति द्वारा तथा प्राणवान समाजके महत्त्वपूर्ण संबंधोंकी संस्कृति द्वारा संपूर्ण व्यक्तियों और अखंड समाजोंका विकास करता है।

जांच करनेसे साबित होगा कि अिन ध्येयोंको सिद्ध करनेके लिअे छोटे समाजोंका और कृषि-अुद्योग पर आधारित बड़ी हद तक स्वावलंबी अर्थ-रचनाका सहारा लेना जरूरी होगा, जो स्वभावसे ही स्थानीय, राष्ट्रीय और आन्तर-राष्ट्रीय हर स्तर पर शांतिवादी होगी।

(अंग्रेजीसे)

विल्फ्रेड वेलॉक

बुनियादी शिक्षा

गांधीजी

कीमत १-८-० डाकखर्च ०-६-०

शिक्षाकी समस्या

लेखक: गांधीजी; अनु० रामनारायण चौधरी

कीमत ३-०-० डाकखर्च १-२-०

नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद-१४

विषय-सूची

		पृष्ठ
'हरिजन' पत्र	मगनभाई देसाई	४०१
नवजीवनके हिसाबका बैलेन्सशीट — १९५५	जीवणजी डा० देसाअी	४०२
अहिन्दी प्रदेशोंकी भाषा-सम्बन्धी मांगें	मगनभाई देसाई	४०४
अंग्रेजीको हटाया जाय या रखा जाय?	मगनभाई देसाई	४०५
अुत्तर-बुनियादी तालीम	के० अेल० श्रीमाली	४०६
अिंग्लैण्डका आर्थिक संकट	विल्फ्रेड वेलॉक	४०७

www.vinoba.in